न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/248/2018

उनवान

1. श्रीमती रामपाली जोजे सोजी कीर निवासी ईटडिया तहसहील फुलिया कलां जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती सुमित्रा पत्नी लादू कीर निवासी ईटडिया तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, फुलिया कलां जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, फलिया कलां के प्रकरण संख्या 383/2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.5.2018

अधिवक्तागण :—

1. श्री पुनीत शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थीया
2. श्री शंभूदास वैष्णव, अधिर्वता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ईटडिया पटवार हल्का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ईटडिया तहसील फुलिया कलां जिला भीलवाडा में वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी काश्तकारी में आराजी नम्बर 266, 267 कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 है0 स्थित है। जिसमें से 1/2 हिस्सा वादिया का निहित है। वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजी संख्या 266 के बदिशा पूर्व कोने पर समानान्तर उत्तर से दक्षिण की ओर वादी के कब्जे में स्थित है। तथा पेरा संख्या 1 में वर्णित शेष कृषि आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। पूर्व में कई बार अपने हिस्से अनुसार सहमति से बंटवाडा कराने हेतु वादीया ने प्रतिवादिया संख्या 1 को मौखिक रूप से कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 जानबूझकर टालमटोल करती रही एवं बंटवाडा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है। जबकि मौके पर पेरा संख्या 1 में वर्णित कृषि आरायिजात पर पेरा संख्या 2 के अनुरूप वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जकाश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर अपने हिस्से पर काबिज है। लेकिन प्रतिवादी आये दिन मौके पर विवाद उत्पन्न कर वादिया को अपने हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर आमादा रहती है। दिनांक 25.6.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादिया को अपने हिस्से की आराजी से बेदखल करने का प्रयास किया एवं बंटवाडा नहीं करने की धमकी दी। अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ बंटवाडा आराजियात कर डिक्री इस आशय की जारी की जावे कि वाद पत्र के पेरा नम्ब 1 में वर्णित कृषि आराजियात में 1/2 हिस्सा वादिया एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का वाद पत्र में वर्णित अनुसार बंटवाडा कराने का आदेश प्रदान करावे। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादिया के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की जावे कि वाद पत्र के पेरा नम्बर 1 में वर्णित आराजियात का प्रतिवादी नम्बर 1 वादी को पेरा नम्बर 2 में वर्णित कब्जे से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बेदखल नहीं करे व कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं न किसी अन्य से करावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार –2018 में दिनांक 10.5.2018 को निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित कर बंटवाडा प्रस्ताव तलब किया जाकर निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी की । जिससे व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थी के अधिवक्ता की एकतरफा बहस की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य लिये प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया है जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण में वादिया/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपने वाद पत्र में कब्जे के आधार पर वादग्रस्त आराजियात का विभाजन किये जाने का अनुतोष मांगा है। जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादिया का वादग्रस्त आराजियात के किसी भी भाग पर कब्जा एवं काश्त नहीं है बल्कि उक्त भूमि अपीलार्थीया की पुश्तैनी होकर अपीलार्थीया का ही कब्जा है, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा फोरी कागजों के आधार पर बिकाव के जरिये खातेदार है कब्जा हथियाने की नियत से मिथ्या तथ्यों के आधार पर बंटवाडा का दावा पेश किया गया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया को उक्त प्रकरण के सम्मन प्राप्त होने पर अधिवक्ता नियुक्त कर अधिकार पत्र दिया गया व नियुक्त अधिवक्ता को भी उक्त तथ्यों से अवगत कराया गया व अपीलार्थीय को अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि मामला रेवेन्यू का है, प्रकरण लम्बा चलेगा, जब भी जवाब/साक्ष्य पेश करने हेतु जरूरत पडेगी, तुम्हे बुला लिया जायेगा, लेकिन न तो अपीलार्थीया को सूचना दी व मनमकसूद तरीके से स्वयं द्वारा अपने हस्ताक्षरों से जवाब दावा पेश कर दिया गया । जिसके बारे में अपीलार्थीया को कोई जानकारी नहीं दी गई।

7. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया द्वारा समय–समय पर अधिवक्ता से प्रकरण की जानकारी करने पर अधिवक्ता द्वारा मामला चलने की बात कही गई व राजस्व लोक अदालत के नोटिस प्राप्त होने पर अपीलार्थीया के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि दोनों पक्षकार राजीनामा नहीं चाहते है, इसलिए मामले में लोक अदालत में कोई निस्तारण नहीं होगा व मैं मामले में उपस्थिति दे दूंगा व आगामी पेशी न्यायालय मे सुनवाई हेतु नियत होने पर बता दूंगा । अधिवक्ता भी पेशी पर उपस्थित हुए एवं उपस्थिति के हस्ताक्षर किये इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य लिये, विवाद्यकों की विरचना किये बिना व बिना प्रारंभिक डिक्री में बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाये बिना एक ही दिन में निर्णय/डिक्री पारित कर अंतिम डिक्री जारी की है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार अभियान कैम्प ईटाडिया में दिनांक 10.5.2018 की तारीख पेशी नियत थी , जो कि मामला वास्ते तनकियात हेतु कायम था,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अधील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कानून को बाला ए ताक में रखकर मामले मे बिना विवाद्यक कायम किये, बिना वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य लिये, बिन प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किये, केवल मात्र अपने प्रकरण निस्तारित करने का कोटा पूरा करने के उद्धेश्य से न्याय का गला घोंटकर, एक ही दिन में निर्णय पारित किया है जबकि मामले में पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था व विधि की प्रक्रिया अनुसार बंटवाडे के वाद में प्रथमतः प्रारंभिक डिक्री पारित होनी चाहिये थी उसकी पालना में तहसीलदार व गिरदावर मौके पर जाकर खातेदारान पक्षकारान की उपस्थिति में मौके की वस्तुस्थिति से अवगत होकर पक्षकारान को सुनकर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया जाता है, जिसमें दोनों पक्षों को पुनः सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ही मामले में अंतिम निर्णय/डिक्री पारित की जाती है । लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअंदाज कर व विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादिया द्वारा अपने वाद पत्र में कब्जे के आधार पर बंटवाडे का अनुतोष चाहा है, जिस बाबत मौके पर जाकर कब्जे की स्थिति की रिपोर्ट रिकार्ड पर ली जाना न्यायसंगत एवं आवश्यक होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने कब्जे बाबत कोई रिपोर्ट मंगाये बिना उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया ने भूमि को काबिल काश्त बनाने में काफी समय, धन व श्रम व्यय किया है। आज भी सम्पूर्ण कृषि आराजी पर अपीलार्थीया का ही कब्जा है। अपीलार्थीया ने उक्त सम्पूर्ण भूमि पर फसल काश्त कर रखी है। फिर भी वादिया द्वारा अपने वाद पत्र के पेरा नम्ब२ 2 में गलत तौर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर कृषि आराजी नम्बर 266 के पूर्व कोने पर समानान्तरण उत्तर से दक्षिण की ओर कब्जा बताया गया है जो मौके पर उक्त भूमि पर उसका कोई कब्जा नहीं है व न उक्त भूमि पर अपीलार्थीया प्रतिवादिया का ही कब्जा बताया गया है, जो मौके पर उक्त भूमि पर उसका कोई कब्जा नहीं है व उक्त भूमि पर अपीलार्थीया प्रतिवादिया का ही कब्जा है। परन्तु मातहत न्यायालय ने आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित करने में उक्त स्थिति व प्रावधानों की पूर्ण अनदेखी कर निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि में पोषणीय नहीं होकर खारिज योग्य है। मामले में भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का हिस्सा बैंक के रहन होने से बैंक भी बंटवाडे के वाद में आवश्यक पक्षकार है । पक्षकारों के असंयोजन होने के बावजूद भी वाद पत्र को डिक्री करने में भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया द्वारा न तो कोई राजीनामा किया गया है और न ही राजीनामा बाबत कोई आवेदन पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। जबकि राजस्व लोक अदालत में दोनों पक्ष राजी होने पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कानून को बाला ए ताक में रखकर मनमकसूद तरीके से उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है जो पूर्णतया अवैध एवं निष्प्रभावी है तथा ऐसे किसी डिक्री से अपीलार्थीया को उसके विधिक हक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और न ही अपीलार्थीया ऐस निर्णय व डिक्री से बाध्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक प्रावधानों व विधिक प्रकिया का भी पालन नहीं किया है व एकतरफा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रूप से अपीलार्थी के हक हित व अधिकारों के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

12. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादिया द्वारा जो वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था उसमें तथ्य एवं विधि के कई महत्वपूर्ण प्रश्न अन्तर्निहित है जिनका न्यायोचित निस्तारण पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर विवाद्यकों की विरचना कर साक्ष्य लिवाये जाने के उपरान्त ही गुणावगुण पर किया जा सकता है । उक्त समस्त विधिक स्थिति की अवहेलना कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी विधिक भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पक्ष रखने का अवसर दिये बिना, बिना किसी साक्ष्य व बिना किसी तनकीवार वाद का निस्तारण किये मनमाने ढंग से वाद का निस्तारण किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे।

13. हमनें प्रत्यर्थीया के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीया/वादिया ने विभाजन हेतु वाद पत्र प्रस्तुत कर ग्राम इटाडिया तहसील फुलिया कला जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 266 व 267 कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 है0 में वादी का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा निहित बताते हुए विभाजन किये जाने का निवेदन किया । अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने पर प्रकरण तनकियात में लंबित था। राजस्व रेकार्ड जमाबंदी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संवत 2072 से 2075 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम इटडिया पटवार क्षेत्र ईटडिया तहसील फूलिया कला की आराजी नम्बर 266 रकबा 0.25 है0 एवं आराजी नम्बर 26 रकबा 0.61 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 है0 में सुमित्रा पत्नि लादु 1/2 , रामपाली जोजे सोजी 1/2 कीर साकिन देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। वादिया ने वादग्रस्त आराजी में राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु निवेदन किया । जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र ईटडिया में दिनांक 10.5.2018 को पेश होने पर अधिवक्ता उभयपक्ष के अधिवक्ता की उपस्थिति में वाद पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया । अधिवक्ता उभयपक्ष के निवेदन पर तहसीलदार फुलिया कला से बंटवाडा प्रस्ताव तलब किया गया कैम्प के दौरान ही बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई।

14. यद्यपि प्रकरण में लोक अदालत की भावना से उभयपक्ष के मध्य राजीनामा नहीं हुआ है। परन्तु लोक अदालत में प्रकरण का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मेरिट पर निस्तारण किया गया है। राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी का वादग्रस्त आराजियात में 1/2, 1/2 हक हिस्सा निहित था। इस तथ्य की पुष्टि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2072 से 2075 से होती है। बंटवाडा प्रस्ताव में नक्शा ट्रेश भी संलग्न किया गया है जिसका अवलोकन किया गया । उक्त नक्शा ट्रेश के अवलोकन से आराजी नम्बर 266 एवं 267 दोनों ही आराजियात के उत्तर की तरफ रास्ता दर्ज है। आराजी नम्बर 266 का 0.25 है0 तथा आराजी नम्बर 267 का रकबा 0.61 है0 कुल रकबा 0.86 हैक्टर होना प्रमाणित होता है। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

समय तहसीलदार द्वारा इस बिन्दु का पूर्ण रूपेण ध्यान रखा गया है कि वादी एवं प्रतिवादी को समान रकबा, समान किस्म, की भूमि बंटवाडे में उपलब्ध कराई जावे। आराजी नम्बर 266 एवं 267 की किस्म नहरी द्वितीय होने से कुल रकबा 0.86 है0 का 1/2 हिस्सा 0.43 है का वादिया के हिस्से में एवं 0.43 है0 का प्रतिवादिया के हिस्से में रखा गया है । वादिया को आराजी नम्बर 266 का सम्पूर्ण रकबा 0.25 है एवं आराजी नम्बर 267 में से 0.18 है कुल 0.43 है0 एवं रामपाली जोजे सोजी को आराजी नम्बर 267 में से 0.43 है0 बंटवाडे में प्राप्त हुई है। उभयपक्ष के मध्य समान रकबा, समान लगान एवं दोनों के हिस्से रास्ते से सटते हुए विभाजन प्रस्ताव में दर्शाये गये हैं एवं उसी अनुसार उभयपक्ष के मध्य विभाजन किया गया है।

15. अपीलार्थीया की आपत्ति यह नहीं है कि उसे प्रत्यर्थीया वाला हिस्सा दिया जाये अथवा यह भी आपत्ति नहीं है कि उसके हिस्से में कम भूमि आई है अथवा भूमि की किस्म समान नहीं है अपितु अपीलार्थीया की आपत्ति यह है कि सम्पूर्ण भूमि पर उसका कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रत्यर्थीया/वादिया ने वादग्रस्त भूमि में से 1/2 हक हिस्सा विक्रय पत्र के आधार पर क्रय किया है एवं प्रत्यर्थीया का राजस्व रेकार्ड अनुसार 1/2 हक हिस्से पर कब्जाकाश्त नहीं है। अपीलार्थीया ने न्यायालय हाजा में भी भूमि की किस्म समान नहीं होने, बराबर बराबर हिस्सा नहीं मिलने अथवा रास्ते पर भूमि नही होने बाबत कोई आपत्ति नहीं की है । अपीलार्थीया का कथन है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गई है एवं तनकियात कायम नहीं करने की आपत्ति अपीलार्थीया द्वारा अपील मेमो में की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई एवं कैम्प

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में ही बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किये जाने पर तहसीदार फूलियाकलॉ द्वारा जो बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है वह विधिसम्मत तरीके से तैयार किया गया है। अपीलार्थीया को मात्र आपत्ति यह है कि सम्पूर्ण आराजी पर उसका कब्जाकाश्त है प्रत्यर्थीया/वादिया का मौके पर कब्जा नहीं है । बंटवाडा प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी संख्या 266 व 267 का दो हिस्सो मे जो 0.43 है0 प्रत्येक का विभाजन प्रस्ताव बनाया गया है वह उचित है तथा दोनो सहखातेदारान की समान रूप से भूमि का बंटवारा किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा बंटवारा प्रस्ताव में कोई कमी होना या स्वयं के हक हिस्से से भिन्न भूमि दिया जाना नही बताया गया है। ऐसे में रिकार्डेड खातेदार को बंटवारा करवा कर भूमि पर हक अधिकार लेने से रोकने के लिए न्यायालय का सहारा लेने के किसी भी प्रयास का समर्थन नही किया जा सकता। अपीलाण्ट यदि पूरी भूमि पर कब्जा रखना चाहता है तथा सदभावी क्रेता को रेकार्ड में खातेदार दर्ज हो जाने के उपरान्त भी मौके पर उपस्थिति रोकने के लिये न्यायालय का सहारा लेना चाहते है तो ऐसे प्रयासो का सर्मथन नही किया जा सकता । अपीलाण्ट को चाहिये था कि वे सम्पूर्ण भूमि में अपने कब्जे के आधार पर 1/2 हिस्से के निर्धारण हेतु अपना पक्ष रखते या बंटवारा प्रस्ताव में त्रुटि को अपील का आधार बनाते, परन्तु अपीलाण्ट का यह कथन है कि सम्पूर्ण कृषि आराजी पर अपीलार्थी का ही कब्जा है, उचित नही माना जा सकता। राजस्व रेकार्ड अनुसार तहसीलदार द्वारा जो उभयपक्ष के हक हितों को ध्यान में रखकर जो बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है उसे अनुचित ठहराये जाने बाबत ठोस आधार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। उसी बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर अधिनस्थन्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

डिक्री पारित की गई है। उभयपक्ष के अधिवक्तागण अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे एवं उनके निवेदन पर ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है । अपीलार्थीया के अधिवक्ता की उपस्थिति को अपीलार्थीया की उपस्थिति ही माना जायेगा। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

16. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.5.2018 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

17. निर्णय आज दिनांक 28.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री हेमन्त स्वरूप माथुर ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/248/2018

उनवान

1. श्रीमती रामपाली जोजे सोजी कीर निवासी ईटडिया तहसहील फुलिया कलां जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती सुमित्रा पत्नी लादू कीर निवासी ईटडिया तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, फुलिया कलां जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, फलिया कलां के प्रकरण संख्या 383/2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.5.2018 अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/248/2018** मे **उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 28.6.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री पुनीत शर्मा वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की की ओर से अधिवक्त शंभूदास वैष्णव की उपस्थिति मे दिनांक 28.6.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.5.2018 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 28.6.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस